संख्या–796 / XLI-1 / 2011–06 / 07

(20)

प्रेषक,

ओ0पी0तिवारी,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
श्रीनगर गढ़वाल।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 5 सितम्बर 2011

विषयः– राजकीय पालीटैक्निक, गढ़ीश्यामपुर, ऋषिकेश के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर परियोजना निदेशक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0 हरिद्वार इकाई के पत्र संख्या–1039 / रा0नि0नि0 / एच–111(2) / 2011, दिनांक 07.07.2011 एवं शासनादेश संख्या–190 / XXIV(8) / 2006–06 / 2007, दिनांक 24.03.2007, संख्या–1281 / XXIV(8) / 07–06 / 2007, दिनांक 16.01.2008 तथा शासनादेश संख्या–552 / XXIV(8) / 08–06 / 2007, दिनांक 23.06.2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राजकीय पालीटैक्निक गढ़ीश्यामपुर, ऋषिकेश के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा गठित पुनरीक्षित आगणन ₹ 564.61 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त विभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत ₹ 503.42 लाख (रूपये पॉच करोड़ तीन लाख बयालीस हजार मात्र) के आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये, अब तक अवमुक्त धनराशि ₹ 461.00 लाख को समायोजित करते हुये, अवशेष ₹ 42.42 लाख में से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 में ₹ 25,00,000 / – (रूपये पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः–

1– उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा, जितनी धनराशि की वास्तविक रूप से आवश्यकता हो। धनराशि अनावश्यक रूप से कार्यदायी संस्था को पार्किंग के लिए न दी जाय।

2– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर कार्यदायी संस्था से एम.ओ.यू. हस्तान्तरित कराया जाना अवश्यक सुनिश्चित किया जायेगा।

3– कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन कराना आवश्यक होगा।

4– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली,2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी राशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।

7– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

8– उक्त कार्य के प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए इन्हें समयबद्ध ढंग से निर्धारित समया सारिणी के अनुसार पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय। विलम्ब के कारण आंगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

9– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए, तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

10– निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व मानकों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का कड़ाई से पालन किया जाय।

11– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए। कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता के संबंध में थर्ड पार्टी चेंकिग की व्यवस्था की जाय जिसके सापेक्ष होने वाला व्यय देय सेन्टेज चार्जेज के सापेक्ष वहन किया जायेगा।

12– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनदेश सं0–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.06 द्वारा निर्गत ओदशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

2– प्रश्नगत कार्य हेतु स्वीकृत की जा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रगति आख्या समयान्तर्गत उपलब्ध शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत ''लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–02–तकनीकी शिक्षा–104–बहुशिल्प–00–आयोजनागत–16–पालीटेक्निकों हेतु भूमि क्रय/भवन निर्माण–24–वृहत निर्माण कार्य मद'' के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–133(P)/XXVII(3)/2011–12 दिनॉक 24.08.2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओ0पी0तिवारी)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनॉक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी।
5. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 हरिद्वार इकाई, हरिद्वार।
6. प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक, गढ़ीश्यामपुर, ऋषिकेश।
7. वित्त अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग।
8. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
अनु सचिव।